न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

सरकार बनाम प्रशांत कुमार मिश्रा

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

FORM A

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016
कोतवाली थाना कांड संख्या–204 / 2014
(निर्णय की तिथिः– 22.05.2026)

सूचक	बैजनाथ भगत, पेसर–सीताराम भगत, साकिन– बड़ी बाजार जिला मुंगेर।
अभियोजन की ओर से	मो0 जहॉगीर, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1. प्रशांत कुमार मिश्रा, पेसर– विपिन मिश्रा, साकिन– हसनपुर, थाना–मुफ़सिल, जिला–मुंगेर
बचाव पक्ष की ओर	1. श्री मनमोहन सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

22.05.26
Court of D.A.S.J. III
Munger

FORM B

अपराध की तिथि–	दिनांक– 21.07.2014
प्राथमिकी की तिथि–	दिनांक– 23.07.2024
आरोप पत्र की तिथि–	दिनांक– 20.04.2016
आरोप गठन की तिथि–	दिनांक– 22.03.2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक– 18.04.2017
बयान धारा–313 द0प्र0स0 दर्ज होने की तिथि	दिनांक– 19.12.2024
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि–	दिनांक– 07.05.2026
निर्णय की तिथि–	दिनांक– 22.05.2026

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

सरकार बनाम प्रशांत कुमार मिश्रा

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति बरी या दोषी
01	प्रशांत कुमार मिश्रा	.....	.....	387, 307/34, 120B IPC and 3/4 Explosive Substance Act	बरी

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
PW-1	बिन्ती देवी	अभियोजन साक्षी (सूचक की पत्नी)
PW-2	इन्द्रजीत कुमार	अभियोजन साक्षी (सूचक का पुत्र)
PW-3	बैजनाथ भगत	सूचक

22.05.26
Court of D.A.S.J. III Munger

बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य

Sr. No,	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण
अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
1.	प्रदर्श –01	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा के विरूद्ध धारा 387, 307/34, 120B भा०द०वि० एवं 3/4 Explosive Substance Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से आरोपित है, जिसका विचारण इस न्यायालय में चल रहा है।

2. प्रस्तुत केस के सूचक का कहना है कि दिनांक 21.07.2014 को रात्रि 08:30 बजे बड़ी बाजार स्थित आई०सी०आई० बैंक के बगल में सूचक के प्रतिष्ठान प्लाईउड सेंटर पर अज्ञात अपराधियों द्वारा बम फेंका गया, बम फेंके जाने के कारण सूचक के लोहे के गेट पर बम के बारूद का

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

सरकार बनाम प्रशांत कुमार मिश्रा

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

दाग है। घटना से पूर्व अपराधियों द्वारा सूचक के मोबाईल पर दिनांक 05.07.2014 एवं दिनांक 09.07.2014 को रंगदारी की मांग की जा चुकी है। सूचक के द्वारा उसके परिवार के सदस्यों के जान–माल को सुरक्षित प्रदान करने की गुहार लगाई गयी थी, जो कोतवाली थाना कांड संख्या 190/2014 के प्राथमिकी के रूप में दर्ज है। इस घटना के बाद से सूचक तथा सूचक का परिवार भयाक्रांत है। इस दहशत के कारण सूचक का दुकान बंद पड़ गया। अतः श्रीमान् से पुनः आग्रह है कि अभियुक्त के विरूद्ध कानूनी कारवाई करते हुए सूचक तथा सूचक के परिवार के सदस्यों को जान–माल की सुरक्षा प्रदान की जाय, जिससे सूचक अपना दुकान खोलकर रोजी–रोटी चला सके।

3. उक्त स्वःलिखित बयान के आधार पर कोतवाली थाना कांड सं0–204/2014, दिनांक–23.07.2014 अन्तर्गत धारा–387, 307/34, 120बी0 भादवि0 एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई एवं अनुसधान का भार कोतवाली थाना के पु0अ0नि0 चन्द्रिका प्रसाद एवं पु0अ0नि0 मणिभूषण कुमार ने प्रारंभ किया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र सं0–85/2016 दिनांक–20.04.2016 अन्तर्गत धारा–387, 307/34, 120बी0 भादवि0 एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियुक्तगण 1. प्रशांत मिश्रा उर्फ बाबा एवं 2. सूरज साह उर्फ झरकावा के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया एवं श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की धारा–387, 307/34, 120बी0 भादवि0 एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत संज्ञान आदेश पारित किया गया।

22.05.26

Court of D.A.S.J. III Munger

4. वाद की दौरासुपुदर्गीः– अभियुक्तगण 1. प्रशांत मिश्रा उर्फ बाबा एवं 2. सूरज साह उर्फ झरकावा को दिनांक–30.06.2016 को उक्त अभिलेख मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर के न्यायालय में दौरासुपुर्द किया गया।

5. प्रस्तुत अभिलेख में दिनांक–22.03.2017 को जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम् द्वारा अभियुक्त 1. प्रशांत कुमार मिश्रा के विरूद्ध आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी भाषा में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर अभियुक्तगण द्वारा इनकार किया गया एवं विचारण की मांग की।

6. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरांत दिनांक–19.12.2024 को जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय द्वारा अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप से इनकार किया गया एवं स्वयं को निर्दोष बताया गया।

7. अब न्यायालय के सामने विचारण प्रश्न है कि:–

(क) क्या अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एकराय होकर सूचक के दुकान पर बम फेंका गया?

(ख) क्या अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व सूचक से फोन पर रंगदारी की मांग की गई थी?

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

सरकार बनाम प्रशांत कुमार मिश्रा

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

मंतव्य

8. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 03 अभियोजन साक्षी का साक्ष्य कराया हैं, जो है **अभियोजन साक्षी सं.–1 बिन्ती देवी ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** इस केस की घटना लगभग सात वर्ष पहले की है। सोमवार का दिन था। समय आठ बजे रात का था। उस समय मैं अपने घर पर थी। मुझे आवाज सुनाई पड़ा, आवाज बम का था। आवाज मेरे दुकान पर से आया था। मेरी दुकान पर से आया था। मेरी दुकान और मेरे घर के बीच दो–तीन मकान है। बम की आवाज सुनने पर पुलिस आई क्योंकि वहाँ पर एक आइ0सी0आई0सी0आई0 बैंक है। पुलिस आई तो मालूम हुआ कि मेरे दुकान पर बम फआ था। दुकान के ग्रील पर बम फआ था। पुलिस आई तो मेरे पति बैजनाथ भगत घर से बाहर निकले और केस दर्ज करवाया। मुझे जानकारी नहीं मिली कि मेरे दुकान पर किसने बम चलाया था। मैं अभियुक्त प्रशांत मिश्रा को नहीं पहचानती हूँ। इस साक्षी ने कहा है कि मेरे दुकान पर प्रशांत मिश्रा एवं दीपू तांती वगैरह ने मिलकर बम चलया था और मैं सही बातों को न्यायालय में छिपा रही हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि :– मेरी आँखों के सामने कोई घटना नहीं घटी इसलिए मैं घटना के बार में कुछ नहीं जानती। आज मै स्वेच्छा से गवाही दे रही हूँ।

22.05.26

Court of D.A.S.J. III Munger

अभियोजन साक्षी संख्या 02 इन्द्रजीत कुमार है, इन्होने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि इस केस की घटना दिनांक 21.07.2014 की है। सोमवार का दिन था। समय आठ–साढे आठ बजे रात का था। घ टना के समय मैं अपने घर पर था। हल्ला हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे दुकान पर किसी ने बम चलाया है। बम की आवाज सुनकर पुलिस आई क्योंकि वहाँ पर बैंक है। मैं अपने पिताजी के साथ घर से बाहर निकला। मेरे पिताजी ने थाना पर आवेदन दिया, जिसपर केस दर्ज किया गया। पुलिस मुझसे पूछताछ नही की थी। मुदालय न्यायालय में रहता तो नहीं पहचान पाता। ऐसी बात नहीं है कि हमलोगों को जानकारी मिली थी प्रशांत मिश्रा ने मेरे दुकान पर बम चलाया था और जान बुझकर न्यायालय में सही बातों को छिपा रहा है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि :– बम किसने चलाया था मुझे नहीं पता। मैंने अपनी आँखों से कोई घटना नहीं देखा। आज मैं बिना भय–दबाव के स्वेच्छा से गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या 03 बैजनाथ भगत है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मै इस केस का सूचक हूँ। इस केस की घटना दिनांक 21.07.2014 के रात 7–8 बजे की है। उस समय मैं अपने घर पर था। बम फअने का आवाज हुआ। मुझे लोगों ने आकर बताया कि मेरे दुकान पर बम चलाया गया है। मेरे दुकान के बगल में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक है इसलिए वहाँ पर पुलिस गश्ती गाड़ी आयी। उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला। मैं घटना के दो घटे के बाद दुकान पर गया था। दुकान पर जाने पर पाया कि ग्रील में बम चलाया गया था। पुलिस के आने पर मैंने केस दर्ज करवाया। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जो पूर्व से प्रदर्श 01 अंकित है। मुझे आज तक पता नहीं चला कि बम किसने चलाया था। केस दर्ज करवाने के बाद पुलिस आई थी और मुझसे पूछताछ

किया गया था। मैंने अभियुक्त का नाम नही बताया था। मुदालय न्यायालय में रहता तो नही पहचान पाता। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तों के मेल में आकर उसका नाम न्यायालय में नहीं बता रहा हूँ और पहचानने से भी इंकार कर रहा हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि :– घटना के समय मैं घर पर था इसलिए किसने बम चलाया मुझे नहीं पता। मैं किसी मुदालय के बारे में नहीं जानता हूँ। पुलिस के पास मैंने किसी मुदालय का नाम नहीं बताया था। आज मैं बिना किसी भय–दबाव के स्वेच्छा से गवाही दे रहा हूँ।

दस्तावेज साक्ष्य के रूप में केवल प्रदर्श 01 लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर को दस्तावेजीय प्रमाण को प्रदर्श कराया गया है।

9. प्रस्तुत सत्र विचारण में न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त जो भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है, क्या उसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा–387, <u>307 / 34</u>, 120बी0 भादवि0 एवं <u>3 / 4</u> विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि नहीं ?

बहसः–

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत केस में अभियोजन साक्षियों में से केवल तीन अभियोजन साक्षी गवाही हेतु उपस्थित हुए है। अभियोजन साक्षी संख्या 03 बैजनाथ भगत है, जो इस वाद के सूचक साक्षी है तथा घटना के वक्त अपने घर पर थे तथा पारा 03 में कहते है कि मुझे आज तक नही पता चला कि बम किसने चलाया था। अभियोजन साक्षी संख्या 01 एवं 02 जो सूचक के क्रमशः पत्नी एवं बेटा है, जो घटना के वक्त अपने घर पर थे। इन दोनो साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि बम किसने चलाया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस वाद के दोनों अनुसंधानकर्ता गवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए। प्रस्तुत केस में न तो घटनास्थल साबित किया गया है और न ही कोई जप्ती ही पुलिस के द्वारा की गई है। अतः अभियोजन अपना केस साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को केस से रिहा किया जाए।

विश्लेषणः–

11. प्रस्तुत केस में वर्ष 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें सूचक बैधनाथ भगत के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें गवाह संख्या 01 बिनती देवी सूचक की पत्नी है, जो घटना 07 वर्ष रात 08:00 बजे की बताती है, जब ये घर पर थी और दुकान से बम की आवाज सुनने पर बाहर निकली तो मालूम हुआ कि दुकान पर ग्रिल के पास बम फटा है। गवाही के पारा 03 में इनके द्वारा अभियुक्त की पहचान नहीं की गई है और पारा 05 में स्पष्ट कहती है कि मेरे ऑखों के सामने घटना नहीं घटी।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

सरकार बनाम प्रशांत कुमार मिश्रा

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

गवाह संख्या 02 इन्द्रजीत कुमार सूचक के पुत्र है, जो घटना 21.07.2014 समय करीब आठ साढे आठ बजे की बताते है, हल्ला पर इन्हे पता चला कि इनकी दुकान पर किसी ने बम चलाया है, ये पिताजी के साथ बाहर निकले, जिसपर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ये अपने प्रतिपरीक्षण के पारा 05 में कहते है कि बम चलाने वाले के बारे में नहीं जानता हूँ। गवाह संख्या 03 बैजनाथ भगत केस के सूचक है और घटना दिनांक 21.07.2014 रात सात आठ बजे की बताते है, जब ये अपने घर पर थे और बम फटने की आवाज सुनकर लोगों द्वारा बताया गया कि दुकान पर बम चलाया गया है और दो घटे बाद दुकान जाने पर देखे कि ग्रील पर बम चलाया गया है तथा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श 01 अंकित कराया है। किन्तु घटना के समय ये घर पर थे, ऐसे में किसने बम चलाया इन्हे नहीं पता। इस प्रकार उपरोक्त तीनों गवाहो की गवाही से स्पष्ट है कि सारे गवाह सुनी सुनाई बातो पर गवाही दी है। प्रस्तुत केस में आरोप का गठन अतर्गत धारा 387, 120बी0, 307/34 भा0द0वि0 तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, किन्तु अभियोजन के द्वारा कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो घटना का कारण और अभियुक्त की पहचान स्थापित कर सके। सारे गवाह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और न ही बम चलाने वालों को उनके द्वारा देखा गया है। अनुसंधानक भी इस केस में गवाही देने उपस्थित नहीं हुए है, जो ये साबित करते कि अभियुक्त का नाम किस आधार पर आरोप पत्र में लाया गया है, जबकि गवाहो ने घटना को देखा ही नही है। घ टनास्थल से न्यायालय में बम का छर्रा अथवा अन्य कोई वस्तु जप्त नहीं की गई है और न ही कोई पहचान परेड अथवा अभियुक्त का सी0डी0आर0 प्रतिवेदन अभिलेख पर है, जिसपर यह स्पष्ट हो सके कि घटना के समय अभियुक्त घटनास्थल पर था। घटना कारित करने का आशय भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अंतर्गत धारा 387 भा0द0वि0 के तहत किसी भी प्रकार का डर अथवा भय का आरोप नहीं है और न ही सूचक या उनके परिवार को पैसे को लेकर धमकी ही दी गई। धारा 307/341 भा0द0वि0 के तहत किसी भी प्रकार का चोट अथवा चोट कारित करने का प्रयास ही साबित किया गया है, जो जानलेवा प्रकृति का हो। घटनास्थल से किसी भी प्रकार का विस्फोटक बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसकी जॉच कराई गई है। अभियोजन द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य अभियुक्त के घटना में सम्मिलित होने अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य होने तथा पहचान की बात गवाहों द्वारा साबित की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण घटना अनुमान पर आधारित प्रतीत होती है, जिसमें अभियोजन द्वारा अभियुक्त की सल्पित्ता साबित नहीं की गई है। अतः अभियोजन कांड को साबित नही कर पाया है।

22.05.18
Court of D.A.S.J. III
Munger

12. उक्त कांड केवल संदेह पर आधारित है और मुख्य गवाहों के द्वारा घटना को साबित नहीं किया गया है और विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अन्वेषण अधिकारी एवं सरकारी अधिकारी का साक्ष्य मामले में घटना का सारभूत साक्ष्य न होकर संपोषण प्रकार का साक्ष्य होता है जो घटना के प्रत्य क्षदर्शी या पीड़ित या अन्य सारवान मुख्य साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्यो तथा कथनो का समर्थन कर उसकी विश्वसनीयता को एक ठोस आधार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक विधि का यह सु–स्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

सरकार बनाम प्रशांत कुमार मिश्रा

ST. NO.-172/2016
C.I.S.No.-172/2016

न्यायालयः– श्री विकास मिश्रा,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मुंगेर।

नही ले सकता तथा युक्तियुक्त संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है और उक्त सिद्धांत का प्रतिपादन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शीलारोबेरटीयन बनाम वी.आर.जवाहरज (7) एस.सी.सी. 581 में कहा कि 'तथ्य के संबंध में कानून पूर्णतया सु–स्थापित है कि संदेह कितना मजबूत क्यो न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। मजबूत संदेह, संयोग, गंभीर संदेह सबूत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता और यह न्यायालय को सुनिश्चित करना है कि संदेह कानूनी साक्ष्य का स्थान न ले''

13. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के साथ साक्ष्य के आलोक में अभियोजन अभियुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा के विरूद्ध आरोपित धाराओं को युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है।

14. **<u>आदेश</u>**

उपरोक्त अभियुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–387, 307/34, 120बीभादवि0 एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है और साथ ही अभियुक्त एवं उनके प्रतिभू को समस्त उतरदायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक निष्पादित अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय न्यायालय द्वारा लेखापित सुदृढ किया गया एवं निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय लिपिक निष्पादित अभिलेख का नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(विकास मिश्रा)
जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश, तृतीय
मुंगेर
दिनांक 22/05/2026

Court of D.A.S.J. III
Munger

लेखापित एवं संशोधित

(विकास मिश्रा)
जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश, तृतीय
मुंगेर
दिनांक 22/05/2026